सत्यमेव जयते
Web Copy - Not Official

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी विराटनगर, जिला जयपुर

राजस्व लोक अदालत न्याय आपके द्वार–2018

कैम्प कोर्ट : विराटनगर, **कैम्प दिनांक 29.06.2018**

पीठासीन अधिकारी – मुकेश कुमार मूंड R.A.S.

राजस्व प्रार्थना पत्र संख्या :– 02/2017 **दायर तारीख :– 23.10.2017**

1- राधेश्याम पुत्र लक्ष्मीनारायण जाती महाजन निवासी मैड, तहसील विराटनगर, जिला जयपुर। ***—: प्रार्थी***

बनाम

1. जगदीशप्रसाद पुत्र लक्ष्मण जाती अहीर निवासी मैड, तहसील विराटनगर
2. तहसीलदार, तहसील विराटनगर, जिला जयपुर।
3. उप पंजीयक, तहसील विराटनगर जिला जयपुर।

— अप्रार्थीगण

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत राजस्थान अभिधृत अधिनियम, 1955 की धारा 251–क की उप धारा (2)

उपस्थित :– श्री गणपत लाल पंसारी अधिवक्ता प्रार्थीगण
पैरोकार सरकार

निर्णय

निर्णय दिनांक :– 29.06.2018

1. प्रार्थी ने प्रार्थना पत्र राजस्थान अभिधृत अधिनिय 1955 की धारा 251–क की उप धारा (2) के अधीन अनुज्ञा का आवेदन पत्र पेश किया कि वाके ग्राम मैड के हाल आराजी खसरा नम्बर 2417, 2423, 2421, 2420, 2430, 2404, 2428, 2427, 2402, 2403, 2416/5806, 2429 जमाबन्दी संवत् 2070–2073 प्रार्थी के नाम दर्ज रिकार्ड है, तथा प्रार्थी अपनी आराजी में आने–जाने हेतु अप्रार्थी के खसरा नम्बर 2416/2 मे से रास्ता चाहा है। प्रार्थी ने निवेदन किया कि प्रार्थी का अपनी खातेदारी भूमि में आने–जाने के लिए उक्त रास्ता के अतिरिक्त अन्य कोई वैकल्पिक रास्ता नहीं है। प्रस्तावित रास्ता प्रार्थी की अत्यान्तिक आवश्यकता है तथा प्रार्थी की भूमि में पहूंचने के लघुतम तथा निकटतम स्थिति है। प्रार्थी के द्वारा कालित रास्ता को जो कि हाल नक्शा ट्रेस में सीमाकिंत दर्शित किया गया है, उक्त भूमि राजस्व अभिलेख में रास्ता के रूप में अभिलिखित किया जाना तथा अप्रार्थी की उक्त भूमि के संबंध में खातेदारी निवादित किया जाना न्यायसंगत है, इसके संबंध में प्रार्थी उचित एवं न्यायसंगत प्रतिकर संदाय करने हेतु तैयार है।

सत्यमेव जयते
Web Copy - Not Official

2. प्रार्थी ने अपने प्रार्थना पत्र के समर्थन मे दस्तावेजी साक्ष्य के रूप में नकल प्रदेशा ट्रेस, नकल जमाबन्दी खाता संख्या 803 संवत् 2070–2073, नकल जमाबन्दी खाता संख्या संवत् 2070–2073 आदि पेश किये।

3. अप्रार्थी संख्या 1 बावजूद सम्यक तामील अनुपस्थित रहा, जिसके विरूद्ध एकपक्षीय कार्यवाही अमल में लायी गई। पैरोकार सरकार उपस्थित।

4. पत्रावली राजस्व लोक अदालत कैम्प कोर्ट विराटनगर में पेश हुई। उपस्थित अधिवक्ता एवं पैरोकार सरकार को सुना गया।

5. पत्रावली, पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजों विधि के सुसंगत प्रावधानों का अवलोकन किया गया तथा बहस वकुलाय पर मनन किया गया। मुताबिक जमाबन्दी संवत् 2070–2073 ग्राम मैड के हाल आराजी खसरा नम्बर 2417, 2423, 2421, 2420, 2430, 2404, 2428, 2427, 2402, 2403, 2416/5806, 2429 की खातेदारी प्रार्थी के नाम दर्ज रिकार्ड है। प्रार्थी ने अपनी खातेदारी भूमि में आने–जाने हेतु खसरा नम्बर 2416/2 जो अप्रार्थी के नाम दर्ज रिकार्ड है, मे से रास्ता चाहा गया है। विद्वान अधिवक्ता प्रार्थी का तर्क रहा कि प्रार्थी के आवाजाही हेतु चाहे गये रास्ता के अतिरिक्त अन्य कोई रास्ता नहीं है तथा निकटतम रास्ता अप्रार्थी के खसरा नम्बर 2416/2 की भूमि मे से है। तहसीलदार विराटनगर से मौका रिपोर्ट मय निकटतम सुलभ रास्ते का प्रस्ताव चाहा गया।

6. मुताबिक तहसीलदार विराटनगर से प्रस्ताव ग्राम मैड के आराजी खसरा नम्बर 2416/2 हैक्टेयर की खातेदारी वर्तमान में अप्रार्थी के नाम दर्ज राजस्व रिकार्ड है। प्रार्थी की खातेदारी खसरा नम्बर 2417, 2423, 2421, 2420, 2430, 2404, 2428, 2427, 2402, 2403, 2416/5806, 2429 भूमि एवं सडक के मध्य खसरा नम्बर 2416/2 है, जिसकी पश्चिमी सीमा के सहारे 16 मीटर लम्बाई एवं 4 मीटर चौडाई (16x4=64 वर्गमीटर) में प्रार्थी को आने–जाने हेतु रास्ता दिया जाना नियमानुसार उचित है। प्रार्थी के पास अपनी खातेदारी भूमि में आने–जाने हेतु खसरा नम्बर 2416/2 के अतिरिक्त अन्य कोई रास्ता उपलब्ध नहीं है। खसरा नम्बर 2416/2 की पश्चिमी सीमा के सहारे 16 मीटर लम्बाई एवं 4 मीटर चौडाई (16x4=64 वर्गमीटर) में रकबा प्रार्थी की जोत में पहूंच हेतु उपयुक्त एवं युक्तियुक्त रास्ता है। उक्त रास्ता के काम आने वाली भूमि का क्षेत्रफल 144 वर्गमीटर बनता है।

7. समस्त तथ्यों के अवलोकन के उपरान्त मै, इस निष्कर्ष पर पहुंचता हूँ कि प्रार्थी को अपनी आराजी में आने–जाने का रास्ता नहीं है तथा प्रार्थी द्वारा प्रार्थना पत्र में चाहा गया रास्ता मात्र जोत के सुविधापूर्ण उपयोग–उपभोग के लिए नहीं है, बल्कि रास्ता आत्यन्तिक आवश्यकता है। मौकास्थिति को मध्यनजर रखते हुए प्रार्थी को अप्रार्थी के खसरा नम्बर 2416/2 की पश्चिमी सीमा से 16 मीटर लम्बाई व 4 मीटर चौडाई से कुल 64 वर्गमीटर कीमतन रास्ता दिया जाना

सत्यमेव जयते
Web Copy - Not Official

सुविधाजनक एवं सर्वसुलभ है। प्रार्थना पत्र मे चाहा गया रास्ता उपयुक्त एवं सुविधाजनक, युक्तियुक्त व फिजीबल है। जहां तक रास्ता में गई भूमि की प्रतिकार राशि का संबंध है, प्रार्थी देने को तैयार है, इसके संबंध में तहसीलदार विराटनगर को आदेश दिया जाना उचित है कि डीएलसी दर अनुसार गणना कर, डीएलसी दर की दोगुना राशि प्रार्थी से जमा कर उक्त राशि अप्रार्थी को अदा करें। प्रार्थी का प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाना उचित पाता हूॅ।

आदेश

प्रार्थी का प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाता है। वाके ग्राम मैड तहसील विराटनगर मे स्थित अप्रार्थी खातेदारी खेत खसरा नम्बर 2416/2 पश्चिमी सीमा से 16 मीटर लम्बाई एवं 4 मीटर चौडाई की भूमि को प्रार्थी के पक्ष में रास्ते के उपयोग हेतु अप्रार्थी की खातेदारी अधिकारों का अवसान किया जाता है तथा गैरमुमकीन रास्ता घोषित किया जाता है। तहसीलदार को आदेश दिये जाते हैं कि नियमानुसार प्रार्थी से डीएलसी दर की दोगुना राशि जमा कर इस प्रतिकार राशि का भुगतान अप्रार्थी को किया जावे। अप्रार्थी को सदैव के लिए स्थायी निषेधाज्ञा से पाबन्द किया जाता है कि उक्त सार्वजनिक रास्ते मे किसी प्रकार की, किसी भी रूप में, किसी के भी माध्यम से बाधा उत्पन्न नहीं करें, किसी भी रास्ते के उपयोग–उपभोग से नहीं रोके। तहसीलदार विराटनगर राजस्व रिकार्ड मे अमल करें, नक्शे मे आवश्यक तरमीम करें, मौके पर पालना करना सुनिश्चित करें, साथ ही रास्ता की भूमि पर सीमा चिन्ह कायम करें।

निर्णय आज दिनांक 29.06.2018 को खुले न्यायालय मे सुनाया गया।

उपखण्ड अधिकारी
विराटनगर